

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 452 / 12

संस्थापन दिनांक : 05.07.2012

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला  
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—राजीव शर्मा पुत्र रामअवतार शर्मा निवासी ई.एम.  
—133 डी.डी. नगर ग्वालियर जिला ग्वालियर

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध विचारणीय धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 28.06.12 को शाम 6 बजे या उसके लगभग ग्राम बिरखड़ी के पास हाइवे रोड अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोक मार्ग पर वाहन सेन्ट्रो कार क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा दिनेश अ0सा01 की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.बी.5185 में टक्कर मारकर दिनेश अ0सा01 एवं सोनू अ0सा03 को उपहति कारित की तथा नेहा अ0सा02 को घोर उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.06.12 को दिनेश अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम0पी0-30-एम.बी.5185 से सोनू अ0सा03 और नेहा अ0सा02 को बिठाकर ग्वालियर जा रहा था तब शाम 6 बजे ग्राम बिरखड़ी के पास ग्वालियर की तरफ से सेन्ट्रो कार क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 को आरोपी चालक उपेक्षा व उतावलेपन से लापरवाहीपूर्वक चलाकर आया और उनकी साइड में आकर सामने से टक्कर मार दी जिससे दिनेश अ0सा01 के माथे, सिर, दाहिने अंगूठे, और पीठ में चोट आई सोनू अ0सा03 के ठोड़ी व जबड़े में चोट आई, नेहा अ0सा02 के दोनों पैरों में चोट आई सेन्ट्रो चालक गाड़ी को भिण्ड की तरफ

भगाकर ले गया फिर जनवेद अ0सा05 व अन्य लोग उन्हें अस्पताल ले गये जहां से उन्हें जे.ए.एच. ग्वालियर रैफर कर दिया गया। तत्पश्चात फरियादी दिनेश अ0सा01 ने थाना गोहद चौराहा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क0 129/12 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
  1. क्या आरोपी ने दिनांक 28.06.12 को शाम 6 बजे या उसके लगभग ग्राम बिरखड़ी के पास हाइवे रोड अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोक मार्ग पर वाहन सेन्ट्रो कार क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन का उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक परिचालन कर दिनेश अ0सा01 की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.बी.5185 में टक्कर मारकर दिनेश अ0सा01 एवं सोनू अ0सा03 को उपहति कारित की ?
  3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन का उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक परिचालन कर नेहा अ0सा02 को घोर उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का सकारण निष्कर्ष //

5. दिनेश अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 28.06.12 को शाम 6 बजे वह भिण्ड से ग्वालियर मोटरसाइकिल से सोनू अ0सा03 और नेहा अ0सा02 के साथ जा रहा था जब वह बिरखड़ी पहुंचा तब ग्वालियर की ओर से ए-स्टार मारुति क्रमांक एम0पी0-07-सी.-2391 का चालक गाड़ी को तेजी से चलाकर आया और गलत साइड में आकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके माथे, सिर व दांये हाथ, अंगूठे में चोट आई सोनू अ0सा03 की ठोड़ी में चोट आई व जबड़ा फ्रैक्चर हो गया नेहा अ0सा02 के दोनों पैरों में चोट आई और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया उसके बाद उसने थाना गोहद चौराहा पर आकर रिपोर्ट प्र0पी-1 लिखवाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका सोनू अ0सा03 व नेहा अ0सा02 का उपचार हुआ था और पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी उसने घटना वाले दिन मारुति चालक को देख लिया था और साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी को पहचान कर बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने ही ए-स्टार मारुति को चलाकर टक्कर मारी थी।
6. नेहा अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी राजीव को नहीं जानती है दिनांक 28 जून 2012 को शाम 6 बजे वह सोनू अ0सा03 व दिनेश अ0सा01 के साथ बाईक से भिण्ड से ग्वालियर जा रही थी तब एक सेन्ट्रो कार जिसका नंबर उसे नहीं मालूम गलत दिशा से तेजी से आई और उनकी बाईक में टक्कर मार दी जिससे उसके घुटने व अंगुलियों में चोट आई थी और सोनू

अ0सा03 व दिनेश अ0सा01 को भी चोट आई थी दिनेश अ0सा01 ने जनवेद अ0सा05 को फोन किया तो वह घटनास्थल पर आ गये और उसे भिण्ड ले गये। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 था और स्वतः कथन किया है कि उसने गाड़ी का नंबर नहीं देखा था।

7. साक्षी सोनू अ0सा03 ने कथन किया है कि वह साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी राजीव को जानता है। दिनांक 28.06.12 को शाम 6 बजे वह दिनेश अ0सा01 और नेहा अ0सा02 मोटरसाइकिल से भिण्ड से ग्वालियर जा रहे थे तब बिरखड़ी पर आरोपी राजीव शर्मा की कार सामने से आई और उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी उनकी मोटरसाइकिल बांये हाथ पर चल रही थी जहां पर आकर उसे टक्कर मारी थी। गाड़ी तेजी से आ रही थी जिसे रोकने की चालक ने काफी कोशिश की। गाड़ी का नंबर एम0पी0-07-सी.सी.-2391 था उसे टोडी में फ्रैक्चर हो गया था और जबड़े की हड्डी में चोट आई थी नेहा अ0सा02 को दोनों घुटनों में चोट आई थी व कनपटी छिल गयी थी व अंगूठा फट गया था दिनेश अ0सा01 का माथा फट गया था और पीठ में चोट आई थी। एक्सीडेंट के बाद आरोपी भाग गया था। दुर्घटना के बाद उन्होंने अपने मामा रोशनलाल को फोन किया जिन्होंने जनवेद अ0सा05 को फोन किया जो मालनपुर से आ गये थे और वह अस्पताल ले गये थे फिर उसे व नेहा अ0सा02 को ग्वालियर भेज दिया था जहां उसका इलाज हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
8. जनवेद अ0सा05 ने कथन किया है कि वह आरोपी राजीव को नहीं पहचानता है। एक वर्ष पूर्व बिरखड़ी के पास रोड की घटना है वह मोटरसाइकिल पर भिण्ड से ग्वालियर जा रहा था तब उसके रिश्तेदार दिनेश अ0सा01 भी मोटरसाइकिल से जा रहा था जिस पर सोनू अ0सा03 व नेहा अ0सा02 बैठे थे जो आगे निकल गये थे और वह पीछे था तब कार क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी. ने दिनेश अ0सा01 की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट कर दिया था घटना के समय वह मौके पर नहीं था और जब भीड़ लगी तब वह पहुंचा था। घटना में दिनेश अ0सा01, सोनू अ0सा03 और नेहा अ0सा02 को चोटें आई थीं जब उसे खबर लगी तब वह थाने पर पहुंचा। इस साक्षी ने यह बताने में असमर्थता व्यक्त की है कि वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 को आरोपी तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-7 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
9. साक्षी डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.06.12 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहा के आरक्षक वीरेन्द्र नं0 605 द्वारा लाये जाने पर आहत दिनेश अ0सा01 पुत्र मुरारीलाल निवासी दबोहा भिण्ड का परीक्षण करने पर आहत के चोट नं01 सिर में आगे की तरफ 10गुणा0.5गुणा0.3 से.मी. का फटा हुआ घाव तथा चोट नं0 2 पीठ में बांये बखा के नीचे 4गुणा3 से.मी. का फटा हुआ घाव पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की होकर कड़े एवं भौथरी

वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की हैं। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत सोनू अ0सा03 पुत्र राजेश कुमार का परीक्षण करने पर आहत के चोट नं01 बांये घुटने पर 1.5गुणा1 से.मी. का नील का निशान तथा चोट नं02 नीचे का जबड़ा आगे की तरफ उतरा हुआ था तथा मेन्डेबल हड्डी टूटी हुई थी। उसके मतानुसार यह चोटें कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की हैं चोट नं0 2 का प्रकार एक्सरे के आधार पर दिया जायेगा। चोट नं0 1 साधारण प्रकृति की है। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत नेहा अ0सा02 पुत्री राजेश कुमार का परीक्षण करने पर आहत के चोट नं01 बांये हाथ के बीच वाली अंगुली में 1.8गुणा0.5गुणा0.3 से.मी. का फटा हुआ घाव था तथा चोट नं02 दांये कान के आगे के भाग में 3गुणा2से.मी. का छिला हुआ घाव पाया था। उसके मतानुसार यह चोटें कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभावित है तथा परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर की हैं। चोट नं0 1 का प्रकार एक्सरे के आधार पर दिया जायेगा। शेष चोटें साधारण प्रकृति की हैं। उसके द्वारा तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 29.06.12 को आहत नेहा अ0सा02 का एक्सरे परीक्षण किया गया जिसमें बांयी टिबिया हड्डी में अस्थिभंग पाया गया। एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी-6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. दिनेश अ0सा01 ने पैरा 2 में इंकार किया है कि आरोपी अपनी गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले गया था और इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने रोड पर उन्हें घायल अवस्था में पड़ा देखा तब गाड़ी से उठाकर गोहद अस्पताल ले आये। दिनेश अ0सा01 ने कथन किया है कि जनवेद अ0सा05 उन्हें गाड़ी से अस्पताल ले गये थे और यह स्वीकार किया है कि घायल होने की सूचना डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा04 ने पुलिस को दी थी तब पुलिस अस्पताल में आई थी और दिनेश अ0सा01 ने पैरा 5 में इंकार किया है कि तीनों घायलों को आरोपी उठाकर अस्पताल लाया था और उन्होंने पुलिस को आरोपी की ही गाड़ी बतायी थी। नेहा अ0सा02 ने इंकार किया है कि वह रोड पर पड़े थे तब आरोपी उठाकर अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गया था और उन्होंने आरोपी को झूठा फंसाया है और अन्य गाड़ी टक्कर मारकर चली गयी थी। सोनू अ0सा03 ने पैरा 3 में इंकार किया है कि उन्हें अन्य गाड़ी टक्कर मार गयी थी और आरोपी अपनी गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले गया था और उन्होंने तब आरोपी की गाड़ी का नंबर लिखा दिया। जनवेद अ0सा05 ने पैरा 3 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि आरोपी आहतों को गाड़ी से अस्पताल ले गया था और स्वतः कथन किया है कि वह थोड़ी देर बाद आया था इसलिए उसे जानकारी नहीं है। डॉ0 आलोक अ0सा04 ने पैरा 5 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि आहतों को उसके पास पुलिस लेकर आई थी या अन्य कोई लेकर आया था और वह यह भी नहीं बता सकता है कि उसने पुलिस को फोन करके बुलाया था तब पुलिस ही आहतों को लेकर आई थी।

11. दिनेश अ0सा01 ने पैरा 3 में कथन किया है कि उसके चाचा जनवेद अ0सा05 उसे घटनास्थल पर ही मिले थे जो बस में बैठकर आये थे क्योंकि उसने घर पर फोन किया था और जनवेद अ0सा05 किराये की गाड़ी से उनको अस्पताल



ले गये थे और पैरा 5 में इंकार किया है कि जनवेद अ0सा05 गोहद अस्पताल में नहीं आया था और ना ही घटनास्थल पर आया था। नेहा अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि जनवेद अ0सा05 घटनास्थल पर आ गया था जो उन्हें बस में बिठाकर गोहद अस्पताल ले गये। सोनू अ0सा03 ने पैरा 3 में कथन किया है कि 15-20 मिनट बाद जनवेद अ0सा05 घटनास्थल पर आ गये थे जो सेन्द्रो कार से अस्पताल ले गये थे और अस्पताल में ही चिकित्सक ने पुलिस को बुला लिया था। जनवेद अ0सा05 ने पैरा 3 में कथन किया है कि आहतों को अस्पताल कोन लेकर गया उसे जानकारी नहीं है जब वे लोग थाने पहुंचे तब वह थाने गया था।

12. दिनेश अ0सा01 ने पैरा 3 में कथन किया है कि उसने आरोपी को घटनास्थल पर पहचान लिया था। जबकि एफआईआर प्र0पी-1 में आरोपी का नाम अथवा हुलिया उल्लिखित नहीं है और मात्र वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 का चालक आरोपी के रूप में अंकित है अतः प्रथम बार आरोपी की पहचान न्यायालय में की गयी है जबकि घटनास्थल पर ही चालक को पहचानना दिनेश अ0सा01 ने कथन में बताया है।
13. दिनेश अ0सा01 ने पैरा 4 में कथन किया है कि एफआईआर प्र0पी-1 उसने ही लिखाई थी और यह भी स्वीकार किया है कि एफआईआर प्र0पी-1 में सेन्द्रो गाड़ी का नाम गलत लिखा है और कथन किया है कि गाड़ी का नंबर सही लिखा है और स्वतः बताया है कि उसे गाड़ी कन्फर्म नहीं थी लेकिन नंबर को नोट कर लिया था। पुलिस ने रिपोर्ट करते समय उससे पूछा था कि कैसी गाड़ी थी तो उसने बताया था कि सेन्द्रो टाइप की गाड़ी थी और स्वीकार किया है कि अब वह ए-स्टार और सेन्द्रो गाड़ी में अंतर जानता है। उसके बयान में भी सेन्द्रो गाड़ी लिखी हो तो वह निश्चित नहीं है क्योंकि गाड़ी का नंबर उसे मालूम है लेकिन गाड़ी कौन सी थी वह नहीं बता सकता। दिनेश अ0सा01 ने पैरा 5 में इंकार किया है कि उसे ए-स्टार गाड़ी ने टक्कर नहीं मारी अपितु सेन्द्रो गाड़ी ने टक्कर मारी थी और आरोपी की गाड़ी ने टक्कर नहीं मारी। सोनू अ0सा03 ने पैरा 4 में कथन किया है कि जिस कंपनी की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी थी वह नहीं देख पाया था क्योंकि उसे चक्कर आ गया था। तब उसने नंबर देख लिया था और यह स्वीकार किया है कि गाड़ी क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.2391 ए-स्टार मारुति कंपनी की गाड़ी है। जनवेद अ0सा05 ने पैरा 3 में कथन किया है कि अगर मारुति कंपनी की गाड़ी हो तो उसे याद नहीं है।
14. दिनेश अ0सा01 ने पैरा 4 में कथन किया है कि वह रिपोर्ट लिखाने के बाद गोहद चौराहा थाने पर नहीं गया। सोनू अ0सा03 ने पैरा 3 में स्वीकार किया है कि नक्शामौका प्र0पी-2 पर सोनू अ0सा03 नाम के हस्ताक्षर हैं जो उसके नहीं हैं। जब उन्हें गोहद से ग्वालियर रैफर कर दिया था उसके बाद वह दोबारा गोहद थाने नहीं आये और रिपोर्ट लिखने के बाद उन्हें पुलिस फिर कभी नहीं मिली और ना ही कोई पूछताछ की।
15. बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा है कि सड़क पर घायल अवस्था में आहतगण को देखकर आरोपी ही आहतगण को स्वयं के वाहन से अस्पताल ले गया था जिस कारण उन्होंने आरोपी को पहचानकर उसके वाहन को ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के रूप में उल्लिखित किया है। जबकि आरोपी ने दुर्घटना कारित नहीं की है। इस संबंध में दिनेश अ0सा01, सोनू अ0सा03, और नेहा अ0सा02 ने उपरोक्त विवेचना अनुसार इस सुझाव से इंकार किया है कि उन्हें आरोपी घायल

अवस्था में देखकर अपनी गाड़ी में अस्पताल लेकर आया था। उक्त तीनों ही आहतगण दिनेश अ0सा01, नेहा अ0सा02 और सोनू अ0सा03 ने स्पष्ट कथन किया है कि उन्हें जनवेद अ0सा05 अस्पताल में लेकर आये थे। लेकिन स्वयं जनवेद अ0सा05 ने आहतगण के नातेदार होते हुए भी प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट इंकार किया है कि वह आहतगण को उपचार के लिए अस्पताल में लेकर आया था। अतः जबकि आहतगण जनवेद अ0सा05 द्वारा उन्हें अस्पताल लाना बता रहे हैं लेकिन स्वयं जनवेद अ0सा05 आहतगण को अस्पताल ले जाने के तथ्य से इंकार कर रहा है धारा 134 मोटरयान अधिनियम के अधीन चालक का दायित्व है कि दुर्घटना की दशा में वह आहत को उचित उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराये। अतः अगर आरोपी आहतगण को अस्पताल ले भी गया है तब भी वह आरोप के अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं होता है लेकिन प्रकरण में यह तथ्य प्रश्नगत हो जाता है कि दिनेश अ0सा01, नेहा अ0सा02 और सोनू अ0सा03 जनवेद अ0सा05 द्वारा उन्हें उपचार के लिए ले जाना असत्य क्यों बता रहे हैं। अतः दिनेश अ0सा01, नेहा अ0सा02 और सोनू अ0सा03 आरोपी द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाने के तथ्य को छिपाकर कथन कर रहे हैं जिससे उनकी सत्यवादिता खण्डित होती है और बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा को बल प्राप्त होता है कि आहतगण ने उसे मदद करने पर मिथ्या फंसाया है।

16. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनेश अ0सा01 ने उपरोक्तानुसार बताया है कि जनवेद अ0सा05 उन्हें किराये की गाड़ी से अस्पताल ले गये थे जबकि नेहा अ0सा02 ने बताया है कि जनवेद अ0सा05 उन्हें बस से अस्पताल ले गये थे और सोनू ने बताया है कि जनवेद अ0सा05 उन्हें सेन्ट्रो गाड़ी से अस्पताल ले गये थे। जबकि जनवेद अ0सा05 अस्पताल ले जाने से ही इंकार कर रहा है अतः जिस वाहन से आहतगण को एक ही समय पर एक ही व्यक्ति द्वारा अस्पताल ले जाया गया है तब वाहन के संबंध में ही तीनों आहत साक्षीगण ने अलग-अलग तथ्य बताकर महत्वपूर्ण विरोधाभास उत्पन्न किया है जिससे भी उनके कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास उत्पन्न होता है।

17. दिनेश अ0सा01 द्वारा एफआईआर प्र0पी-1 में दुर्घटना सेन्ट्रो वाहन से कारित होना बतायी गयी है लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य में उसने ए-स्टार वाहन से दुर्घटना कारित होना बतायी है। जिस विरोधाभास पर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर उसने कथन किया है कि उसने वाहन का नंबर सही से देख लिया था लेकिन वाहन कौन साथ था वह निश्चित नहीं था। अतः जबकि उसे वाहन ही निश्चित नहीं था तब भी उसके द्वारा एफआईआर प्र0पी-1 में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन से भिन्न अन्य कंपनी का वाहन निश्चित रूप से कैसे बताया गया यह स्पष्ट नहीं होता है। जबकि उसने स्वीकार किया है कि वह ए-स्टार और सेन्ट्रो गाड़ी में अंतर समझता है। जबकि घटना के 6 दिन बाद अंकित पुलिस कथन में भी उसने सेन्ट्रो गाड़ी का उल्लेख किया है। सोनू अ0सा03 ने भी बताया है कि वह बेहोश हो गया था लेकिन उसने गाड़ी का नंबर देख लिया था। परन्तु वह गाड़ी किस कंपनी की है वह नहीं देख पाया था और स्वीकार किया है कि वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 ए-स्टार कंपनी की गाड़ी है। जबकि उसके द्वारा दिए कथन में सेन्ट्रो गाड़ी का उल्लेख किया गया है। अतः जबकि वह भी वाहन की कंपनी नहीं देख पाया था तब भी उसके द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के अन्य कंपनी का उल्लेख किया जाना समाधानप्रद प्रतीत नहीं होता है। अतः दुर्घ

टिना कारित करने वाले वाहन के स्वरूप जो विवेचना के चरण पर बताया गया है और स्वरूप जो न्यायालयीन साक्ष्य में बताया गया है उसमें अंतर है जोकि तात्विक है और विवेचना के चरण पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 का अन्य स्वरूप बताया जाना वस्तुतः इस तथ्य को संदेहास्पद बनाता है कि आहतगण ने दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उसके पंजीकृत नंबर के साथ ठीक से देख लिया था।

18. सोनू अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में नक्शामौका प्र0पी-2 पर ही स्वयं के हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। घटनास्थल साबित करने हेतु नक्शामौका प्र0पी-2 महत्वपूर्ण दस्तावेज है लेकिन उक्त दस्तावेज पर निष्पादनकर्ता सोनू अ0सा03 के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर उल्लिखित कर उसे सोनू अ0सा03 के रूप में अंकित किया जाना विवेचना की विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। दिनेश अ0सा01 और सोनू अ0सा03 ने स्पष्ट कथन किया है कि वह रिपोर्ट लिखाने के बाद पुलिस से कभी नहीं मिले और ना ही पुलिस ने पूछताछ की अतः घटना के बाद उनके द्वारा धारा 161 दप्रस के अधीन विवेचना के चरण पर दिए गए कथन की कार्यवाही भी असत्य होना परिलक्षित होती है।
19. डॉ0 आलोक अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आहत सोनू अ0सा03 ने अपनी मर्जी से एक्सरे नहीं कराया है जबकि सोनू अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उसकी ठोड़ी की हड्डी टूट गयी थी। जबकि दिनेश अ0सा01 ने बताया है कि सोनू अ0सा03 का जबड़ा फ्रैक्चर हो गया था। अतः सोनू अ0सा03 और दिनेश अ0सा01 दोनों ही फ्रैक्चर होना बता रहे हैं लेकिन मुंह के अस्थिभंग जोकि गंभीर व घोर उपहति है कारित होने के उपरान्त भी सोनू अ0सा03 द्वारा अपना एक्सरे परीक्षण न कराया जाना पूर्णतः अविश्वसनीय व अस्वाभाविक है। निजी चिकित्सक या अन्य चिकित्सक द्वारा भी सोनू अ0सा03 ने अपने अस्थिभंग का उपचार कराया हो ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। अतः सोनू अ0सा03 द्वारा उपहति के संबंध में दी गयी साक्ष्य का चिकित्सीय साक्ष्य से भी संपुष्टि नहीं होती है अपितु ऐसे तथ्य प्रतीत होते हैं जोकि उसके कथन को अस्वाभाविक व अविश्वसनीय बनाते हैं।
20. घटना में जनवेद अ0सा05 को कथन प्र0पी-7 के अनुसार प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में उल्लिखित किया गया है लेकिन जनवेद अ0सा05 ने मुख्यपरीक्षण में ही स्वयं के समक्ष घटना कारित होने के तथ्य से इंकार किया है और कथन प्र0पी-7 की अन्तर्वस्तु से भी इंकार किया है। अतः जनवेद अ0सा05 घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होना स्पष्ट नहीं होता है। अतः घटना के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में मात्र आहत साक्षीगण के कथन ही अभिलेख पर हैं। उक्त आहत साक्षीगण दिनेश अ0सा01, नेहा अ0सा02, व सोनू अ0सा03 के कथन में उपरोक्तानुसार तात्विक विरोधाभास परस्पर व अभियोजन मामले से उत्पन्न होना प्रतीत हुआ है। दिनेश अ0सा01, नेहा अ0सा02 और सोनू अ0सा03 ने स्वयं को उपचार हेतु जनवेद अ0सा05 द्वारा पहुंचाये जाने के संबंध में असत्य कथन दिए हैं वाहन के स्वरूप के संबंध में भी न्यायालयीन साक्ष्य और विवेचना के चरण पर अलग-अलग तथ्य स्पष्ट हुए हैं। आहतगण को परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा चिकित्सक के पास नहीं ले जाये गये हैं और जिस जनवेद अ0सा05 द्वारा वह स्वयं को परीक्षण करना ले जाना बता रहे हैं उसने न्यायालयी न साक्ष्य में परीक्षण हेतु ले जाने से इंकार किया है नक्शामौका

प्र0पी-2 की कार्यवाही भी अविश्वसनीय प्रतीत हुई है और विवेचना के चरण पर साक्षीगण के कथन अंकित किया जाना भी साक्षीगण ने ही इंकार किया है। सोनू अ0सा03 को उपहति के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य से उपहति की संपुष्टि नहीं हुई है अपितु अस्वाभाविक तथ्य ही प्रतीत हुए हैं। उपरोक्त संपूर्ण तथ्य आहत साक्षीगण दिनेश अ0सा01, सोनू अ0सा03, व नेहा अ0सा02 के कथन को अविश्वसनीय बनाते हैं जिससे उनके कथन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। घटना सार्वजनिक स्थान पर होने के उपरान्त भी अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है।

21. अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 28.06.12 को शाम 6 बजे या उसके लगभग ग्राम बिरखड़ी के पास हाइवे रोड अंतर्गत थाना गोहद चौराहा लोक मार्ग पर वाहन सेन्ट्रो कार क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा दिनेश अ0सा01 की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-30-एम.बी.5185 में टक्कर मारकर दिनेश अ0सा01 एवं सोनू अ0सा03 को उपहति कारित की तथा नेहा अ0सा02 को घोर उपहति कारित की।
22. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
23. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
24. प्रकरण में जप्त वाहन कार क्रमांक एम0पी0-07-सी.सी.-2391 आवेदक राजीव शर्मा की सुपुर्दगी में है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0